भा0कृ0अ0प0-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर-त0-मालपुरा-टोंक-राजस्थान

क्रमांकः 6(228)एसपी/2010/ दिनांकः 02-01-2017

कोटेशन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के फार्म क्षेत्र में निम्नाकिंत खडे व नीचे गिरे सूखे पेडों / झांसडियों की बिक्री करने के लिये आपसे अपनी उच्चतम दर प्रस्तुत करने हेतु कोटशन आमन्त्रित किये जाते है।

क्रसं	कार्य का नाम	दर प्रति क्विटंल (शब्दों व अंको मे)
1	शीशम की सुखी लकडी	प्रति क्विंटल
2	नीम की सुखी लकडी	प्रति क्विंटल
3	देशी बबूल की सुखी लकडी	प्रति क्विंटल
4	सफेदा की सुखी लकडी	प्रति क्विंटल
5	अन्य जलाऊ लकडी	प्रति क्विंटल
6	झांसडी	प्रति क्विंटल

खडे व नीचे गिरे सूखे पेडों की लकडी / झांसडियों की बिक्री करने के लिये नियम एवं शर्त्ते

1— कोटेशन सादे कागज पर बन्द लिफाफें में संस्थान के निदेशक महोदय के नाम **दिनांक 23.01.2017 को 1—00 बजे** तक क्रय अनुभाग में प्रस्तुत किया जाना है। उक्त तिथि को 1—00 बजे बाद, देरी से प्राप्त, सशर्त व तार द्वारा प्राप्त कोटेशन स्वीकार नही किये जावेगे तथा कोटेशन उसी दिन दोपहर बाद 3—00 बजे कोटेशनदाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेगें। साथ ही ठेकेदार के पास आयकर विभाग के पेन नं0(INCOME TAX PAN NO.) होना आवश्यक हैं बिना पेन नं0 कोटेशन स्वीकार नही किया जावेगा।

2— उक्त कार्य हेतु उच्चतम दर ही स्वीकार की जायेगी। यदि आवश्यक समझा गया तो दर के बारे में प्रथम उच्चतमदरदाता से आपसी बातचीत (नेगोसियसन) भी किया जा सकता हैं।

3— ठेकेदार को कोटेशन के साथ 5000/— रूपये (अंके पांच हजार रूपये मात्र) बतोर अमानत राशि के रूप में, का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar के नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मालपुरा में देय हो सलग्न करना आवश्यक हैं बिना अमानत राशि के कोटेशन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

4— सफल ठेकेदार को कार्य आदेश से पूर्व 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करानी होगी। उसके बाद ही कार्य आदेश दिया जायेगा। तथा कार्य सन्तोष—जनक पूरा होने के उपरान्त जमा अमानत / जमानत राशि छः माह बाद वापिस लौटाई जावेगी।

5— संस्थान के किसी कार्य में ठेकेदार की ओर से संस्थान की सम्पत्ति, किसी भी तरह का व्यवधान या नुकसान करने पर अनुबन्ध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी ।

6— लकडी / झांसडियों की दर प्रति क्विंटल प्रस्तुत करनी हैं । लगभग 20 सेंटीमीटर से कम मोटाई की लकडी को झांसडी में शामिल किया जावेगा, इस मोटाई से ज्यादा मोटी लकडी सूखी लकडी में शामिल किया जायेगा।

7— सूखे पेडों की कटाई, ढुलाई व तोलने आदि कार्य के लिये श्रमिक स्वयं ठेकेदार के होगे तथा लकडी की तुलाई संस्थान के धर्म कांटे पर समिति के समक्ष की जावेगी तथा धर्म कांटे पर किया गया तोल ठेकेदार को मान्य करना होगा। लकडियों को ट्रेक्टर में भरने से पूर्व खाली ट्रेक्टर मय ट्रोली का तोल संस्थान के धर्म कांटे पर करवाना होगा।

8— उक्त कार्य में काम आने वाले औजार व उपयोगी यंत्र आदि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी तथा लकडियां लेजाने के लिये ट्रेक्टर मय ट्रोली स्वयं ठेकेदार का होगा।

9— ठेकेदार द्वारा सूखी लकडी एवं झांसडियों को तुलवाने के उपरान्त लकडी का पूर्ण भुगतान संस्थान के प्र–क्षेत्र अनुभाग में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करने के उपरान्त ही लकडियों बाहर ले जाने के लिये गेट पास जारी किया जावेगा।

9— सुखी लकडी एवं झांसडियां <u>**"जहां है जैसी है"**</u> के आधार पर उठानी होगी।

10— ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा ।

11— उक्त कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके तकनिकी अधिकारियों/ प्रतिनिधियों के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा ।

12— उक्त कार्य की अधिक जानकारी के लिये कार्यालय समय में प्रभारी, प्रक्षैत्र अनुभाग से सम्पर्क करके ज्ञात किया जा सकता हैं ।

13— ठेकेदार को लगाये जाने वाले श्रमिको की पहचान प्र–क्षैत्र व सुरक्षानुभागों के अधिकारी व उनके प्रतिनिधियों को करवाना आवश्यक हैं तथा श्रमिकों द्वारा अन्य पेडों (गिले या प्रभारी द्वारा बताये जाने वाले पेडों के अलावा) को नुकसान पहुचाने पर ठेकेदार को उस पेड का जो भी हर्जाना सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा तय किया जावेगा उसका तुरन्त भूगतान करना होगा तथा ठेका भी निरस्त किया जा सकता है।

14— अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

13— संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी एक या सभी कोटेशन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं।

(रामपाल वर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरणः

1— नगरपालिका, मालपुरा/टोडारायसिंह
2— ग्राम पंचायत, डिग्गी/धोली/टोरडी/कडीला/टोरडी
3— पंचायत समिति,मालपुरा
4— प्रभारी, प्र–क्षैत्र अनुभाग को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसारण करने हेतु
5— सभी सूचना पट्ट